

# न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री गिराज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र०स० 75/20 ता० रजु. 6-1-20 किरम मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 4-2-2020

सरकार

बनाम

मोहन-गल्थी-वासी पुत्रान कदा जाटव तह० बयाना जिला-भरतपुर।

खरगावली

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का खरगावली ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम खरगावली के खसरा न० 112, 113 रकवा 0.24 हैक्ट में से रकवा 0.24 हैक्ट किस्म भूमि चारगाह पर सम्वत 2076 में श्री मोहन-गल्थी-वासी पुत्रान कदा जाटव खरगावली तह० बयाना ने सरको कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल गिसिल है। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 112, 113 रकवा 0.24 हैक्ट वाले ग्राम खरगावली से बेदखल किया जाता है। लगान 3.84 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 192/- रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की माग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कसाई जावे। पैनल्टी वसूली एवं फराल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेश जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 4-2-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस बयाना का नाम राजकी  
वा. से. सं. 04 के वजह से 32  
दिनांक 5/2/20 को दर्ज  
पैनल्टी रु. 192/- 2019  
को वा. शु. है।  
राजस्व सिलकाका  
जननीय बयाना

तहसीलदार  
बयाना (भरतपुर)

